ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 69-72

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अतीत से वर्तमान तक भारतीय नारी का अस्तित्व

ब्रजरानी शर्मा

विभागाध्यक्षा (एसो0 प्रोफेसर) संगीत–विभाग, श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ0प्र0) भारत

Received- 30.09.2019, Revised- 06.10.2019, Accepted - 11.10.2019 E-mail: hotlinealigarh@gmail.com

सारांश : *भौगोलिक दृष्टि से भारत भले ही विश्व समुदाय के लोगों के लिए एक विशिष्ट मानदण्डों के अनुसार तय एवं स्वीकृत किया गया भू–भाग है किन्तु भारतीयों के लिए ये देश उनकी जन्म–भूमि अथवा मातृ–भूमि है, जिसे वो 'भारत माता' कहते हैं। किसी अन्य देश के संस्कार अथवा संस्कृति में ऐसा अनुपम उदाहरण सुनने में नहीं आया कि कहीं किसी देश के साथ चीन–माता, जापान–माता अथवा अमेरिका–माता जैसे नामों से संबोधित किया गया है। यह पूरी भूमिका इस सनातन संस्कृति के ताने–बाने को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए बनाई गई है। जहाँ 'माँ' अथवा 'माता' नामक शब्द में निहित सम्पूर्णता को समझा जा सकता है। स्त्री विधाता की एक अनमोल रचना है, जो जन्मदात्री है, समाज को संबल देने वाली आधी आबादी है। सृष्टि के विकास में उसका महत्त्वपूर्ण योगदान है, वह सृजन की प्रेरणा भी है। स्त्री के बिना संसार की रचना असंभव है।*

कुंजी शब्द – विश्व समुदाय, जन्मभूमि, मातृभूमि, भारत माता, संस्कार, संस्कृतिक सम्पूर्णता, विधाता, सृजन।

प्राचीनकाल में नारी का सम्मान और उसके महत्व की भावना की साक्षी स्वयं मनु–स्मृति है। जिसमें कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' – जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। नारी को सौन्दर्य, दया, ममता, करुणा, क्षमा, भावना संवेदना, त्याग, वात्सल्य व समर्पण का पर्याय माना गया है। पिछले कई दशकों से स्त्री मुक्ति स्त्री–विमर्श, स्त्री स्वतंत्रता के मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं किन्तु क्या जिन मुद्दों पर हम इतना विचार कर रहे हैं, अनेक लेख, उपन्यास, कहानियाँ लिखकर वाहवाही लूट रहे हैं, पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता क्या है ? धर्म, वर्ण, जाति, वर्ग में बंटे इस समाज में स्त्री जाति कभी देह, कभी वस्तु तथा कभी सामान्य मादा के रूप में चिन्हित की जाती है। पुरुष प्रधान समाज में आदिम युग से आज तक स्त्री को अनेक अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरते हुए निरन्तर समझौतों की डगर अख्तियार करनी पड़ी है। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दें तो धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में आज भी पुरुष का वर्चस्व है। इसके पीछे वजह कुछ भी रही तो, लेकिन सत्य यही है कि स्त्री को उसके तथा कथित स्वाभाविक गुणों का वास्ता देकर उसे एक निश्चित दायरे में कैद कर पुरुष समाज अपने वर्चस्व को कायम रखता रहा है। सामाजिक संरचना भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

वैदिक समय की बात करें तो भारतीय समाज व्यवस्था में स्त्री और पुरुष में शारीरिक भेद के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं माना जाता था। उस समय नर और नारी समान रूप से शिक्षा, संस्कार, परिवार निर्वाह के गुरुत्तर दायित्व का निर्वाह करते थे। वैदिक काल में स्त्री का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान था। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि नारी, माता के रूप में हमारा पालन–पोषण और संवर्द्धन करती है तथा पत्नी के रूप में सहधर्मिणी बनकर जन्म से मरण पर्यन्त सेवा करती है। ऋग्वेद में पत्नी को 'सम्राज्ञी' अर्थात् 'गृहस्वामिनी' कहा गया है। यजुर्वेद ने भी 'तस्मैनमन्तांजनयः सुपत्नीः' कहकर नारी को सम्मान दिया है। कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में स्त्री को सावित्री का रूप कहा गया है। वेदों में स्त्री को अबला नहीं माना है बल्कि उसे सुर्वारा, शूरपत्नी, इन्द्रपत्नी, आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है।

मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि जो पुरुष अपने शुभ लक्षणों वाली नारी का भोग करने के उपरान्त बिना किसी दोष के मूर्खतावश त्याग करता है उस व्यक्ति को लोहे के घड़ों में लाकर डाल दिया जाता है।

भुक्त भोगां तु यो नारीमिस्यमाणां प्रियां शुभाम्।
अदुष्टामपि दोषेण त्यजते मूढ़चेतनः।
ते समानीय पच्यन्ते लोहकुम्भेषु शीघ्रतः।।

भारतीय परम्परा में विवाहिता स्त्री को 'धर्मपत्नी' एवं 'सहधर्मिणी' कहा गया है क्योंकि अन्य स्थल पर निर्देशित किया गया है कि स्त्री के समान कोई बन्धु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और धर्म संग्रहण में भी स्त्री के तुल्य कोई सहायक नहीं है।

नास्ति भार्यासमो बन्धुर्नास्ति भार्या समागतिः।
नास्ति भार्या समो लोके सहायो धर्म संग्रहे।।

अतः चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, कोई भी पुरुष पत्नी के बिना धर्म कार्यों को सम्पादित करने में असमर्थ ही होता है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति को अत्याज्य कहा गया है उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी पत्नी का त्याग वर्जित है।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अपत्नी को नरो भूपः न योग्यो निजकर्मणाम्।
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोऽपि वा नृपः।।
व्यजता भवता पत्नी न शोभनीयमनुष्ठितम्।
अत्याज्यो हि यथा भर्त्ता स्त्रीणां भार्या तथा नृणाम्।।
मार्कण्डेय पुराण, अध्याय–68, श्लोक 10–11

उपर्युक्त उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। जो लोग भारत में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के पोशक हैं, उन्हें तत्कालीन समाज के कुछ नारी पात्र–गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, विश्वतारा, सावित्री, भारती, जबाल, आदि के जीवन चरित्र का अध्ययन करना चाहिए, जो किसी भी रूप में पुरुषों से पीछे नहीं थीं। एक उदाहरण देती हूँ–जब आदिशंकराचार्य और मण्डनमिश्र के मध्य शास्त्रार्थ होना तय हुआ तो निर्णायक की भूमिका का दायित्व मण्डनमिश्र की पत्नी महाविदुषी 'भारती' को सौंपा गया। इक्कीस दिन तक चले इस शास्त्रार्थ में भारती का निर्णय आदिशंकराचार्य के पक्ष में गया और उन्होंने अपने पति मण्डन मिश्र के कमजोर तथ्यों को उद्घाटित किया। सत्य के प्रति इस प्रकार निष्पक्ष निर्णय का ऐसा अनूठा उदाहरण अन्य कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रकार सनातन संस्कृति में बिना स्त्री को साथ लिए न तो धर्माचरण संभव होता है, न सामाजिक कर्मकाण्ड। लेकिन इतिहास उठाकर देखते हैं, तो अविछिन्न रूप में नारियों का क्रन्दन, उत्पीड़न एवं शोषण प्रतिबिम्बित होता है। कभी सतीप्रथा के रूप में, कभी विधवा के रूप में कभी बाल–विवाह के रूप में, कभी पर्दा प्रथा के रूप में, कभी बलात्कार के रूप में। भारतीय नारी की सभ्यता का सुमेरू समझी जाने वाली सीता अपनी पतिपरायणता, पवित्रता, श्रेष्ठता के बावजूद अपमानजनक अग्नि परीक्षा का सामना करती है और लोकापवाद के दण्ड स्वरूप अमानवीय निर्वासन प्राप्त करती है। इतना ही नहीं अन्ततः उन्हें धरती की गोद में ही शरण मिलती है। यद्यपि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों के लिए ज्ञान के सभी अवसर खुले थे। तब न पर्दा प्रथा थी, न सती प्रथा पुत्र के अभाव में पुत्री ही पिता की उत्तराधिकारिणी होती थी एकनिष्ठ विवाह की परम्परा के बाद पत्नी रूप में उसने जो ऊँचाई ऋग्वैदिक युग में प्राप्त की, वो न उसे पहले कभी मिली न बाद में। पति के साथ यज्ञ में भाग लेना, भाई की भाँति विद्या अध्ययन करना और अस्त्र विद्या सीखना, रणभूमि में शत्रु का पीछा करना आदि उसकी शक्तिशाली सामाजिक स्थिति के द्योतक हैं। नारी ऋषि थी, कवयित्री थी। संगीत वैदिक नारी के जीवन का अंग था। कन्या को साम–संगीत में हिस्सा लेने का अधिकार था। सूत्रवाड्मय के अनुसार यजमान की पत्नियाँ उपगान के साथ विविध वीणाओं के द्वारा 'उपवादन' भी किया करती थीं। इससे तत्कालीन महिलाओं की कुशलता और प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है।

किन्तु उत्तर वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि स्त्रियों को कसती चली गई। औरत, पासे और शराब को एक ही श्रेणी में रखा गया और स्त्री तीन व्याधियों में से एक मानी गई। स्त्रियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों पर आश्रित होती चली गईं।

मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों एवं समाज में फैली कुरीतियाँ, एक ओर भारतीय नारी के आत्म बलिदान की कहानी है तो दूसरी ओर घर की चहार दीवारों की अंधी कोठरी में कैद होने की मर्मभेदी दास्तान। विधर्मी शासकों के अत्याचारों से बचने के लिए उसने 'जौहर' को न केवल अपनाया, बल्कि उसे उत्सव का रूप देकर भारतीय शालीनता का इतिहास अपने रक्त से लिखा। घूँघट का घटाटोप तो पहले भी कुछ कम न था, लेकिन अब तो वह सही मायनों में ''असूर्यपश्या'' हो गई। किसी संबंधी या पारिवारिक मित्र के सामने आना तो दूर, अपने पति, भाई और पिता के सामने भी उसका निकलना बन्द हो गया। इस युग में नारी, की दो ही गतियाँ थी– घर में बन्द रहकर चूल्हे चौके में हाड़ खपाना और खानदान की वृद्धि करना। इस काल में 'बाल–विवाह', 'बहु विवाह', 'दहेज प्रथा', 'सतीप्रथा', 'जौहर प्रथा, विधवाओं की हीन दशा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, इत्यादि कुप्रथाओं से स्त्रियाँ ग्रसित थीं। उनकी स्वतन्त्रता प्रत्येक क्षेत्र में बाधित थी।

मुगलों के बाद अँग्रेजों का शासन आया। छोटी–छोटी रियासतों में बँटा देश एक राष्ट्र के रूप में उभरकर आया। सामंती संबंधों का पूरी तरह खात्मा तो नहीं हुआ लेकिन अँग्रेजों की पूँजी प्रसार–नीति के साथ विश्व के विकसित ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का जो झोंका आया, उसने आम जनता में नई चेतना और आत्म–सम्मान का भाव जगाया। सदियों की गुलामी में जकड़ी नारी अपने शोषण के खिलाफ खड़ी हुई। 'लक्ष्मीबाई' से लेकर 'सरोजनी नायडू',अम्रतकौर, हाजरा बेगम, विजय लक्ष्मी पंड़ित और इन्दिरा गाँधी तक औरतों ने सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश शासनकाल में यद्यपि महिलाओं में सामाजिक चेतना आयी, लेकिन प्रगति नहीं हुई, किन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ हुए सुधारवादी आन्दोलनों ने भारतीय समाज की संरचना को गहरे तक प्रभावित किया। राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज, केशवचन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द और उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज, स्वामी विवेकानन्द और उनके रामकृष्ण मिशन

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

ने भारतीय समाज की सभी कुरीतियों पर गम्भीरतापूर्वक आक्रमण किया। उनमें से अधिकांश सामाजिक कुरीतियाँ स्त्रियों से सम्बन्धित थीं। राममोहन राय ने सतीप्रथा, बाल–विवाह, बहु–विवाह, अल्पायु विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर विधवा विवाह के लिए प्रयत्नशील रहे स्त्री शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। फलस्वरूप सामाजिक विकास में स्त्रियों ने अपनी महत्ता और भूमिकाओं को भली–भाँति समझा। इस नवीन चेतना के संचार के परिणामस्वरूप स्त्रियों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। परम्पराएँ और प्रथाएँ टूटने लगीं। सामाजिक विकास के लिए स्त्रियाँ प्रथम बार जेल गईं, प्रदर्शनों में भाग लेकर लाठियाँ खाईं। अनेक महिलाओं ने समाज सेविकाओं के रूप में अनेक कष्ट सहते हुए सामाजिक और राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में सहयोग दिया जो स्त्री चेतना का प्रतीक था।

बीसवीं सदी के प्रथमार्ध को महिला जागरण युग कहा जाता है और उत्तरार्द्ध को महिला प्रगतियुग। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिया गया। इस सन्दर्भ में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1950 उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार माता–पिता की सम्पत्ति पर पुत्री को पुत्र के समान अधिकार दिया गया। बाल–विवाह निषेध अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार निरोधन 1959 (1986 में संषोधित) इत्यादि अनेक अधिनियमों के द्वारा महिला अधिकारों का संरक्षण किया गया। तीन तलाक पर भी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू हो चुका है।

पिछले एक दशक में केन्द्र सरकार द्वारा महिला चेतना शक्ति को जागृत करने की दिशा में कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को चलाया गया। स्वधार, स्वावलम्बन, स्वशक्ति, स्वयंसिद्धा, महिला समाख्या कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, परिवार परामर्श केन्द्र, स्वर्णिम योजना, बालिका प्रोत्साहन राशि योजना इत्यादि अनेक योजनाएँ बनती रहती है और क्रियान्वित होती रहती हैं।

आज महिलाओं का समाज में प्रतिष्ठित स्थान है। उनकी स्थिति में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है। वे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक, विचारशील, अपनी अस्मिता के लिए कृतसंकल्प, एवं दृढ आत्म–विश्वास से भरपूर हैं। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज न करवाई हो। आज वो नीति निर्माण से लेकर राजनीति, नौकरशाही, सेना, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, उद्योग व्यवसायिक प्रबन्ध, डॉक्टर, इन्जीनियर, कला, संगीत, आध्यात्म, खेल–कूद आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रहीं हैं। किन्तु इस नवचेतना एवं आत्म जागृति के बावजूद अभी महिलाओं को अपने प्रगतिपथ पर अनेक रूकावटों, वर्जनाओं, रूढ़ियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढाँचे में कोई बुनियादी परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ। आज भी कितनी ही बार किसी स्त्री को योनि शुचिता पर शंका मात्र से उसका परित्याग हो जाता है। कितनी बार उसे निर्वसन करके, उसके केश काटकर, गलियों–सड़कों पर घुमाया जाता है। भारतीय नारी की इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए भगवत शरण उपाध्याय ने 'नारी' के स्वर में लिखा–''मैं नारी हूँ–भारतीय नारी। मेरी कहानी अभिशप्त की है। इस कहानी के प्रसार पर वेदना का विस्तार है, रक्त का रंग उस पर चढ़ा है, दुर्भाग्य से कीचड़ में सनी है।''

'यौन हिंसा और न्याय की भाषा' शीर्षक आलेख में 'श्री अरविन्द जैन' ने 'कानूनी भाषा' पर विचार करते हुए माननीय न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रिया और सुनाये गए निर्णयों की शोध परख की जो समीक्षा प्रस्तुत की है। उससे न्याय का नितान्त अमानवीय और विरूप चेहरा सामने आता है, जो रोंगट खड़े कर देता है। दुनिया भर के समाचार पत्र, अपराध की रिपोर्ट, जनसंख्या के आँकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि स्त्री के नाम पर एक नन्ही सी बच्ची गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। यह कौन सी विकृति पैदा हो गई है, जिसने नई पीढ़ी के मनुष्य को पशु से गया बीता और अधिक खूनी दरिंदा बनाकर छोड़ दिया है।

वर्तमान स्थिति पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो विवाह कर लेने का प्रलोभन देकर विवाह पूर्व सम्बन्ध, विवाहेत्तर सम्बन्ध, बलात्कार, भ्रूणहत्या, आदि अनेक नारी चीत्कारों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। इस कृत्य में समाज की श्रद्धा के पात्र तथा कथित संत भी पीछे नहीं रहे अनेक तो बलात्कारों पर उतर आये और कारागारों के अतिथि बन गए। छोटी–छोटी अबोध बच्चियाँ भी कामांध दुर्दातों की भक्ष्य बन रही हैं और विद्या के पवित्र मन्दिर तक कलंकित हो रहे हैं। कानून बनते हैं, कठोर से कठोर कानून बनते हैं किन्तु अपनी न्याय व्यवस्था की दीर्घसूत्रता पुलिस के निर्हित स्वार्थ, कानूनी दांव–पेंच और मकड़जाल के छिड़ों के कारण न तो कानून प्रभाव दिखा पा रहे हैं और न व्यवस्था का भय उन्हें डराने में सक्षम हो पा रहा है।

हिले तो मुश्किल, डुले तो मुश्किल
कदम उठाए तो सबसे बड़ा मुश्किल
मुख पर मुस्कान दिखे तो मुश्किल
पलकें उठाए तो और मुश्किल

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अड़ौस–पड़ौस से अपनापन मुश्किल
बोले तो बेइन्तहा मुश्किल
अबला जन्म की मुश्किल
समझ में नहीं आता इसे फेंके
कैसे एकाएक

'स्वरूप रानी', 'स्त्री पर्व'– निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वैदिक युग में नारी किसी भी प्रकार अबला नहीं थी। लिंग भेद के आधार पर उसे अवसरों की असमानता भी नहीं थी। पुरुष के समान ही वह परिवार एवं समाज के विविध क्षेत्रों में बढ़–चढ़ कर भाग लेती थी। नारी के बिना परिवार में धार्मिक व मांगलिक यज्ञ विधान आदि भी सम्पन्न नहीं होते थे। वह परिवार व समाज का गौरव समझी जाती थी। वे एक दूसरे के कार्यों के पूरक हुआ करते थे। इसलिए वैदिक युग में नारी की सर्वत्र उत्तम एवं गौरवपूर्ण स्थिति थी। आज की व्यवस्था में नारी के लिए नैसर्गिक रूप से वैदिक युगीन नारी के समान महत्व को स्थापित करने की आवश्यकता है। स्वभावतः ही पुरुष के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का एवं नारी के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष का सहयोग अपेक्षित है। स्त्री सशक्तीकरण के पाश्चात्य जगत के नारे का 'अंधानुकरण' कर पुरुष और स्त्री के बीच एक प्रतिस्पर्धा एवं कटुता के पर्यावरण को प्रोत्साहित करना समाज एवं राश्ट्रहित में नहीं है। आज के परिवेश में वैदिक युगीन व्यवस्था के समान नारी के नैसर्गिक गौरव को स्थापित करना मात्र एक कल्पना ही दृष्टिगोचर होती है पर नारी की उस प्रतिष्ठा की कल्पना को साकार होते हर नारी देखना चाहती है। जिसकी प्रतीक्षा निरन्तर रहेगी।

शब्द सारांश

1. निश्छल 2. मर्मभेदी 3. अन्योन्याश्रित 4. अभिशप्त
5. महिमामण्डित 6. असूर्यपश्या 7. विदुषी 8. पाण्डित्य
9. कामांध 10. शोषण 11. सशक्तीकरण

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास।
2. अशोक कुमार सिंह, भारतीय इतिहास का पहला जौहर' शोध साधना' (सीतामऊ, 1983)।
3. राहुल सांकृतयायन, मानव समाज, इलाहाबाद 1982।
4. चतुर्वेदी जगदीश्वर सं0– अस्मिताः साहित्य और विचारधारा, स्त्री साहित्येतिहास की समस्याएँ।
5. अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र।
6. डॉ0 शीला रजवार : स्वातन्श्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य में नारी के बदलते संदर्भ।
7. तसलीमा नसरीन : औरत के हक में।
8. आशा रानी वोहरा : भारतीय नारीः दशा–दिशा।
9. डॉ0 प्रज्ञा शुक्ल : उपलब्धि–स्त्रीवादी लेखन।
10. मृणाल पाण्डे : परिधि पर स्त्री।
11. जयशंकर मिश्र : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास।
12. राहुल सांस्कृत्यायन् : मानव समाज, इलाहाबाद।

*****